

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 11 (3) शिक्षा-4/2009पार्ट

दिनांक: 31 मई, 2019

आदेश

शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2019-20 के लिए शुल्क

राज्य के गैर-अनुदानित शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों के 2018-19 के वार्षिक शुल्क के संबंध में जारी
विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मार्च 2018, अकादमिक सत्र 2019-20 के लिए भी लागू होगा।

TD(PF)

3
31/5

296
31/5/19

(डॉ. राजेन्द्र ओशी)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

नोट
निम्न

3/6

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन (एनसीटीई), हंस भवन, विंग-11, बहादुर शाह जंक्शन मार्ग, नई दिल्ली 110002।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय समिति, नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन (एनआरसी-एनसीटीई), G-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली 110075।
10. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
13. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
14. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
15. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
16. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
17. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
18. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
19. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
20. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।

आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक F24(Fec) B.Ed/अकाद/2019/255 दिनांक: 03.6.2019
प्रभारी लेबराईट, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
कृपया विभागीय लेबराईट पर उपरोक्त कार्य करें।

निम्नलिखित

Scanned by CamScanner

2

श्री 1221
1911
22/3/18

राजस्थान सरकार
शिक्षा(गुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 11 (3) शिक्षा-4 / 2009पार्ट

दिनांक: 22 मार्च, 2018

आदेश

शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2018-19 के लिए शुल्क

नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन के रेगुलेशन के अनुसार गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की अनुशंसा पर राज्य के गैर-अनुदानित शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए सत्र 2018-19 के लिए निम्नानुसार वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है:-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	मद	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ एम. पी.एड.	बी.ए.-बी.एड./ बी.एड.- एम.एड. बी.एस.सी.-बी. एड.
1.	शिक्षण शुल्क	17880.00	17880.00	17880.00	17880.00
2.	विविध शुल्क	4440.00	4440.00	4440.00	4440.00
3	कम्प्यूटर शुल्क*	960.00	-	-	960.00
4	अन्य गतिविधियां*	3600.00	-	-	3600.00
	योग	26880.00	22320.00	22320.00	26880.00

* (क्र.सं. 3 व 4 पर वर्णित शुल्क बी.पी.एड. व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।)

उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 2 में वर्णित विविध-शुल्क का मदवार विवरण निम्नानुसार होगा:-

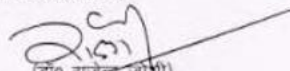
क्र.सं.	मद	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ एम.पी.एड.	बी.ए.-बी.एड./ बी.एस.सी.-बी.एड./ बी.एड.- एम.एड.
(A) कार्यालय व्यय					
1.	प्रवेश शुल्क *	36	36	36	36
2.	कौशन मनी *	180	180	180	180
3.	प्रमाण-पत्र	24	24	24	24
4.	विकास शुल्क	840	840	840	840
5.	बिजली-पानी	840	840	840	840
6.	परीक्षा	300	300	300	300
7.	विविध	60	60	60	60
	योग (A)	2280	2280	2280	2280

(B) छात्र कोष					
1.	खेलकूद	180	180	180	180
2.	पुस्तकालय	540	540	540	540
3.	कला, संगीत एवं संस्कृति	180	180	180	180
4.	मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला	180	180	180	180
5.	शैक्षिक तकनीकी	360	360	360	360
6.	कार्यशाला/कार्यानुभव	360	360	360	360
7.	विज्ञान शुल्क	180	180	180	180
8.	आकस्मिक व्यय	180	180	180	180
	योग (B)	2160	2160	2160	2160
	महायोग (A+B)	4440.00	4440.00	4440.00	4440.00

(* कार्यालय व्यय के क्र.सं. 1 व 2 पर वर्णित मद का शुल्क किसी भी पाठ्यक्रम में सिर्फ प्रवेश के प्रथम वर्ष में ही देय होगा)

उपरोक्त शुल्क वार्षिक रूप से देय होगा। पूर्व के वर्षों में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को सत्र 2018-19/आगामी सत्रों के लिए संगत आदेश के अनुसार ही वार्षिक शुल्क, प्रवेश शुल्क व कौशल मनी मद की राशि को छोड़कर, शेष शुल्क संबंधित महाविद्यालय/संस्था में जमा करवाना होगा। उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त वरिष्ठ विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के प्रीमियम की राशि पृथक से देय होगी।

शुल्क की राशि जमा करने हेतु प्रवेश समन्वयक व महाविद्यालय/संस्थाएं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार आवेदकों/विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से कौशलस विकल्प उपलब्ध करवाएं।


(डॉ० राजेन्द्र जोशी)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विरिष्ठ सचिव, माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, एनसीटीई, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई (एनआरसी) जीवननिधि-11, एलआईसी भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
10. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।

4

13. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
14. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
15. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
16. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
17. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
18. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय श्रेष्ठावादी विश्वविद्यालय, सीकर।
19. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
20. कुलसचिव, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
21. कुलसचिव, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
22. कुलसचिव, निजी विश्वविद्यालय, डीन्ड विश्वविद्यालय,
23. कुलसचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
24. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
25. संयुक्त निदेशक, निजी संस्था, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
27. मुख्य लेखाधिकारी एवं प्रभारी छात्रवृत्ति, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
28. वरिष्ठ लेखाधिकारी, (शिक्षा घुप-5) विभाग, सचिवालय।
29. समन्वयक, पीटीईटी परीक्षा 2018, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
30. समन्वयक, एमपीईटी परीक्षा 2018, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
31. समन्वयक, प्री-बी.पी.एड व प्री-एम.पी.एड परीक्षा 2018, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
32. समन्वयक, पीएसएलटी परीक्षा 2018, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
33. प्रभारी वेबसाइट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर-वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(नोट:-प्रवेश परीक्षाओं की समन्वयक संस्थाओं को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड करवाये तथा एनसीटीई के विनियम 2002 व संशोधन 2010 के बिन्दु संख्या 9(1) (iv) के अनुसार सत्र 2018-19 के लिए निर्धारित शुल्क के मन्तव्य का समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाये)

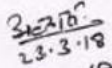

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

क्रमांक. F24(Fee)बी.एस/साक्षाति/2018/206

दिनांक. 23.03.2018

प्रभारी वेबसाइट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
उपरोक्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाये।

1/2
23.3.18


23.3.18
संयुक्त निदेशक (निजी संस्थान)
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा
राज. जयपुर